न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना (राज.)

तारीख हुक्म	मुकदमा सं. हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	GCMS-2016/00224
28/04/25	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय लिखित बहस का जवाब पेश करने हेतु अवसर चाहा। पत्रावली दिनांक 02/05/25 को पेश हो। Sd/-
02/05/25	वकुलाय उभय लिखित बहस का जवाब पेश हुआ। शामिल पत्रावली किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गयी। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 13/05/2025 को पेश हो। Sd/-
13/05/25	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय अपील अपीलान्ट खारीज की जाती है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो। Sd/-

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Si
Yadav
Date: 2025.05.26 12:06:31 IS
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना जिला सीकर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—**राजवीर सिंह यादव (आर.ए.एस.)**
अपील संख्याः— **15/2016**
जी.सी.एम.एस. नं.:— **2016/00224**

1. नन्दकिशोर पुत्र ग्यारसीलाल उम्र 50 साल जाति जांगिड़ निवासी पुरानाबास तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

—अपीलान्ट

बनाम

1. नोरतन (नोशन) पुत्र मुखाराम उम्र 60 साल जाति जांगिड़ निवासी पुरानाबास तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
2. ग्राम पंचायत पुरानाबास जरिये सरपंच ग्राम पंचायत पुरानाबास।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 03 ग्राम पुरानाबास ग्राम पंचायत पुरानाबास दिनांक 14.04.1967

उपस्थिति :— श्री गोपाल लाल शर्मा एडवोकेट— अपीलान्ट
श्री बनवारी लाल जांगिड़ एडवोकेट— रेस्पो. 1

<u>निर्णय</u>

दिनांक :— 13/05/2025

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि भूमि ख.नं. 569, 570, 571, 572, 589, 590 किता 6 रकबा 34 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम पुरानाबास तहसील नीमकाथाना में स्थित है जिसके काबिज खातेदार अपीलान्ट के दादा महादेव व इसके सगे भतीजा घनश्याम पुत्र गोबिन्दा तथा सगे भाई मुखाराम व जयनारायण पुत्रान जीता थे। प्रत्येक 1/4–1/4 हिस्से के के काबिज खातेदार काश्तकार चले आ रहे थे। घनश्याम नाऔलाद फौत हो गया था । इनकी मृत्यु के बाद कानूनन विरासत के आधार पर इसके हिस्से की खातेदारी सगे ताऊओं महोदव, मुखाराम व जयनारायण को आनी चाहिए थी किन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के परिवारजनो ने कतई अवैद्य अनुचित व अन्यायपूर्ण तरीके से आपराधिक नियत से ग्राम पंचायत पुरानाबास व पटवारी हल्का से साज करके मृतक घनश्याम की खातेदारी का नामान्तकरण संख्या 03 रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम दर्ज करवाकर तस्दीक करा लिया। नामान्तकरण में केवल यही लिखा गया है कि घनश्याम फौत हो चुका उसकी जगह नोरतन के नाम इंतकाल दर्ज किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा केवल यह दर्ज किया गया कि यह नामान्तकरण नोरतन पुत्र मुखाराम खाती के नाम स्वीकृत किया जाता

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.05.26 12:06:31 IST
Reason: SelfAttested

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम किस आधार पर नामान्तकरण दर्ज किया इसका कोई भी कारण अंकित नहीं किया है, इसलिये नामान्तकरण कानून के विरूद्ध है, प्रभावशुन्य व फर्जीयत करके भरा व तस्दीक किया गया है।

नामान्तकरण भरे जाने से पूर्व विरासत की बाबत कोई जॉच नहीं की गयी। ना ही मजमे आम में भरा गया, ना ही सर्वसम्मति से तस्दीक किया गया। मृतक घनश्याम नाऔलाद फौत हुए थे, जिन्होने ना तो किसी को गोद लिया था नहीं किसी तरह का कोई दस्तावेज पंजिकृत करवाया था। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम नामान्तकरण किस आधार पर भरा गया कोई उल्लेख नहीं है। नामान्तकरण निरस्तनीय है।

नामान्तकरण जेरे अपील का पूर्व में अपीलान्ट को कतई कोई इल्म नहीं था अपनी भूमि के बॅटवारे के सिलसिले में दिनांक 08.07.2016 को नीमकाथाना आकर अपने अधिवक्ता से कानूनी जानकारी प्राप्त की तो उन्होंने तहसील से पुराना रिकार्ड निकलवाने हेतु कहा जिस पर अपीलान्ट को दिनांक 14.07.2016 को नकले प्राप्त हुई तब नामान्तकरण जेरे अपील संख्या 03 का इन्द्राज होना मिला नामान्तकरण की नकल 18.07.2016 को मिलने पर सम्पूर्ण जानकारी हुई इससे पूर्व कतई कोई जानकारी होने का सवाल ही नहीं था। इस कारण अपील मियाद में प्रस्तुत की जा रही है। प्रार्थना पत्र मियाद तोशी अलग से पेश किया गया हैं । अपीलान्ट द्वारा अपील के समर्थन में नामान्तकरण संख्या 03 ग्राम पुरानाबास की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गई है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि नामान्तकरण जेरे अपील संख्या 03 ग्राम पुरानाबास ग्रा.पं. पुरानाबास तहसील नीमकाथाना दिनांक 14.04.1967 निरस्त फरमाया जाकर मृतक घनश्याम का हिस्सा इसके सगे ताऊओं महादेव, मुखाराम, व जयनारायण के वारिसान के हक में ही किये जाने का आदेश फरमाया जावे। चूँकि महादेव, मुखाराम, व जयनारायण की मृत्यू हो चुकी है।

उक्त तथ्यों के साथ अपील अपीलान्ट प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर वास्ते सुनवाई रेस्पोडेन्ट जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 मय अधिवक्ता उपस्थित हुआ। रेस्पोडेन्ट संख्या 02 बाद तामील अनुपस्थित रहा है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा फोटो प्रति पण्डित दिनांक 19.9.2018 पेश की गई है तथा लिखित बहस प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस रेस्पोडेन्ट का जवाब पेश किया जाकर फोटो प्रति लगान पेश की गई है । न्यायिक दृष्टान्त में आर.एल.डब्ल्यू. 2006 (2) आर. जे. पेज संख्या 960 प्रस्तुत किया गया है।

उभय पक्ष को अपील पर सुना गया। लिखित बहस एवं जवाब लिखित बहस का एवं न्यायिक दृष्टान्त पर गौर किया गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत नामान्तकरण एवं दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अपील में **मुख्य [illegible] दो [illegible] कर आये है। प्रथम मियाद तोशी का तथा दूसरा मृतक घनश्याम की वि[illegible]त [illegible]**

प्रथम मियाद तोशी :– इस बिन्दू पर विज्ञ अधिवक्ता अपीलान्ट [illegible] कथन है कि अपीलान्ट भूमि के बॅटवारे के सिलसिले में दिनांक 08.07.2016 को नीमकाथाना आकर अपने अधिवक्ता से कानूनी जानकारी प्राप्त की तो उन्होंने तहसील से पुराना रिकार्ड निकलवाने हेतु कहा जिस पर अपीलान्ट को दिनांक 14.07.2016 को नकले

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.05.26 12:06:31 IST
Reason: SelfAttested

प्राप्त हुई तब नामान्तकरण जेरे संख्या 03 का इन्द्राज होना मिला नामान्तकरण की नकल 18.07.2016 को मिलने पर सम्पूर्ण जानकारी हुई इससे पूर्व कतई कोई जानकारी होने का सवाल ही नहीं था इस कारण अपील मियाद में प्रस्तुत की जा रही है। प्रार्थना पत्र मियाद तोशी अलग से पेश किया गया हैं । न्यायिक दृष्टान्त में आर.एल.डब्ल्यू. 2006 (2) आर. जे पेज संख्या 960 प्रस्तुत किया गया है। अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद प्रस्तुत की गई है।

दूसरी ओर विज्ञ अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का तर्क था कि नामान्तरकरण की जानकारी अपीलान्ट को शुरू से ही है। रेस्पोडेन्ट काबिज काश्त चला आ रहा है। अपीलान्ट द्वारा अपील करीब 51 साल बाद प्रस्तुत की गई है जो मियाद बाहर है। रेस्पोडेन्ट द्वारा काफी धन खर्च एवं मेहनत करके भूमि विकसित की है। अपील अपीलान्ट खारिज योग्य है।

उभय पक्ष की बहस को मियाद बिन्दु एवं अपील के गुणावगुण पर ध्यान पूर्वक सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम मियाद बिन्दु पर विवेचन इस प्रकार से है। अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र मियाद तोशी में विलम्ब का कोई ठोस विधिक, सन्तोषप्रद एवं विश्वसनीये कारण नहीं बताया गया है। अपीलान्ट द्वारा करीब 51–52 वर्ष के पश्चात् अपील प्रस्तुत की है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त मूर्ति मंदिर से संबंधित होने से प्रकरण पर चस्पा नहीं होता है। अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र मियाद तोशी स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता है।

दूसरा मृतक घनश्याम की विरासत :– इस बिन्दू पर विवादित नामान्तरकरण संख्या 03 का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया कि ग्राम पंचायत पुरानाबास द्वारा दिनांक 14.04.1967 को विरासत का नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में तस्दीक किया गया है। नामान्तकरण पटवारी हल्का द्वारा 15.03.1967 को दर्ज किया गया तथा भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा दिनांक 22.03.1967 को जॉच की गई तथा ग्राम पंचायत पुरानाबास द्वारा दिनांक 14.04.1967 को तस्दीक किया गया है। विधिक प्रक्रिया से नामान्तकरण दर्ज किया गया है। नामान्तकरण में दर्ज खातेदार महादेवा, मुखराम, जयनारायण आदि द्वारा कभी नामान्तकरण को चुनौती दी हो पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है। इससे जाहिर होता है कि उक्त वर्णित खातेदारान द्वारा नामान्तकरण बाबत कोई आपत्ति किसी किस्म की नहीं रही है। नामान्तरकरण की कार्यवाही फिस्कल प्रोसिडिंग होती है, जिसमें पक्षकारों के अधिकारों का अन्तिम रूप से निर्धारण नही किया जा सकता। 2003 आर.टी. पार्ट–1 पेज 650 में वर्णित किया है कि विरासत के जटिल प्रश्नों का निर्धारण सक्षम न्यायालय में वाद पेश करके ही किया जा सकता है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार योग्य नहीं है। फलतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.05.26 12:06:31 IST
Reason: SelfAttested

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

निर्णय आज दिनांक 13/05/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुली अदालत में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
नीमकाथाना

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.05.26 12:06:31 IST
Reason: SelfAttested